

[21/2/2019]

परामर्श - "अ"

प्रश्न सं. [क. 669]

- 10 -

३

मुख्य गोन्ड बस्तुर बनाते छाक
गोपीनाथ, के पर छान्दोक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
गोजबानगाँव डाक व्यवहारी पूर्व अदायक
छाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति



पंड्रो, न्यायालय भागलूल डिवीजन
प. प्र. - 108, भोपाल 09 11.

मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2010—पौष 21, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010


क्र. एक. 6-1-2002-बाह्य-एक.—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षण) आधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 शन् 1994) की घासा 13 द्वारा प्रत्ति इकितर्हाँ को प्रशोग में लाते हुए, उच्च सत्रकार, एवं दूसरा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जारी—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4-ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्वापित किया जाए, अथां—

"4-ख आदिम जनजातियों को लिये विशेष उपबंध—यदि आवेदक जिला इच्छुक, दैना दतिश, वालियर, फ़ि. ड. बेवपुरी, गुना तथा असोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति जिला मण्डल, डिण्डीरी, शहडोल, उमरिया, बाटनागाट नदी अनुपपुर में वैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिश विकान्तकुण्ड में भारिया जनजाति का है, तो विहित को गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये जिना उक्त पर पर नियुक्त किया जाए।

मेरे वेतनांक परामर्शदाता की सुनिश्चितता को बढ़ावा देने की उम्मीद है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

लम्हक 299]

भोपाल, मुख्यमंत्री, दिनांक 31 मई 2018—पृष्ठ 10, संक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
संचालन, असाधारण प्रबन्ध, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

क्र. एफ-६-१-२००२-आप्र-एक.—मध्यप्रदेश सीक्रेटरी (अनुसूचित जनवादियों और अन्य विषयों को लिये जारी) अधिनियम, 1996 (लम्हक 21 च. 1996) की वज्र 13 छात्र प्रवक्त जनवादियों को इकोम १ लाइट बुइ, राष्ट्र सरकर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सीक्रेटरी (अनुसूचित जनवादियों और अन्य विषयों को लिये जारी) नियम, 1998 में नियन्त्रित और संशोधन करती है, आप—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम ४-छ के स्थान पर, नियन्त्रित नियम स्थापित किया जाए, उचाँह—

“४-छ. मध्यप्रदेश संविधानियों के लिये विशेष उचाँह—यदि आवेदक जिसा स्वेच्छा, मूर्ना, दत्तिया, गवांतिक, खिल, विवाही, गुल तथा ग्राहोकानांद की सझारिया/सहारिया व्यादिय जनवादी, जिला योग्यता, डिल्फोल, झाइडोल, उमरिय, बाजाओट तथा अनुसूची वीं दीर्घ अदिम जनवादी एवं जिला डिल्फोल तथा सिल्वनी की भारिया जनवादी का है, तो उक्त व्यादि यात्रा किलक वा तुसीथ/चतुर्थ भेजी के किसी भी पद के लिये वा वर्नलेक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित को गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उन्नत पद पर नियुक्त किया जाएगा”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से दधा लांदेशानुसार,

के. के. कठिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

क्र. एफ-६-१-२००२-आप्र-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ६-१-२००२-आप्र-एक, दिनांक 31 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से दधा आदेशानुसार,

के. के. कठिया, अपर सचिव.